

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./

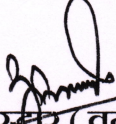
51

/2022

दिनांक 28.03.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./39/2022 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा श्रीमती योगिता पारीक (RJ0646), अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), उदयपुर को दिनांक 02.03.2022 से 08.03.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.03.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

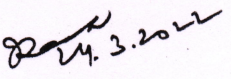

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 24.03.2022

क्रमांक:- स्था.बी.2(4)/14/2011/2327

दिनांक 28.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 2067 दिनांक 07.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती योगिता पारीक (RJ0646), अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), उदयपुर ।
4. अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), उदयपुर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-05, उदयपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार